(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

<u>अधिसूचना सं. 1/2017-सीमा शुल्क</u>

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2017

सा. का. नि.------------- (अ) केंद्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.08.1993 की अधिसूचना संख्या 153/93-सीमा शुल्क में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(1) पैरा में दी गई शर्तों के स्थान पर, निम्नलिखित शर्तें प्रतिस्थापित की जाएंगी,-

“(i) आयातक (जिसे यहाँ पर आधारभूत संरचना सेवा प्रदाता अथवा आईएसपी के रूप में संदर्भित किया गया है) सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क को, भारत सरकार, इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा गठित साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क सोसाइटी के संबंधित निदेशक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उक्त आयातित वस्तुओं को आईएसपी के परिसर में स्थापित किया जाना है अथवा प्रयोग किया जाना है तथा ऐसी वस्तुओं के आयातक को, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की दिनांक 22.02.1993 की अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 117(अ) के अंतर्गत नियुक्त इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क और साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क में 100 प्रतिशत निर्यात अधोमुखी इकाईयों के लिए उक्त अन्तरमंत्रालयी स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(ii) इन वस्तुओं का प्रयोग, आईएसपी के परिसरों में अवस्थित एसटीपी इकाईयों द्वारा साफ्टवेयर के निर्यात के आशय के लिए ही किया जाएगा;

(iii) आईएसपी, सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त के समक्ष अपने-आप को बंधित करते हुए निम्नलिखित आशय का बंधपत्र भरेगा कि वह -

(क) उक्त वस्तुओं को अपने परिसर में स्थापित करेगा और परिसरों में अवस्थित एसटीपी इकाईयों द्वारा साफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में इनका प्रयोग करेगा;

(ख) सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क के अनुमोदन के बिना परिसरों से उक्त वस्तुओं को नहीं हटाएगा;

(ग) मांग किए जाने पर उक्त वस्तुओं पर लगने योग्य शुल्क के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा यदि वे सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क की संतुष्टि के अनुसार सिद्ध नहीं हो पाती है कि उन वस्तुओं का प्रयोग उस आशय के लिए किया गया है जिसके लिए वे आयात की गई थी; और

(घ) वस्तुओं की प्राप्ति, भण्डारण, प्रयोग और हटाए जाने के लिए सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा;

(iv) साफ्टवेयर टैक्नोलाजी पार्क के निदेशक द्वारा दी जा रही अनुमति के अध्याधीन सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क आईएसपी को उक्त वस्तुओं के पुनर्निर्यात की अनुमति दे सकता है;

(v) इस अधिसूचना में विहित किसी अन्य प्रावधान के प्रति किसी दुर्भावना के बिना सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त सीमा शुल्क, विदेश व्यापार नीति के अनुसार वस्तुओं के अवमूल्यन मूल्य और निकासी की तारीख को लागू दर के अनुसार ड्यूटी के भुगतान किए जाने पर इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की निकासी के लिए आईएसपी को अनुमति दे सकता है। अवमूल्यन की अनुमति स्ट्रेटलाइन पट्टी में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए अनुसार दी जाएगी :-

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से
दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 3 प्रतिशत की दर से
तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 3 प्रतिशत की दर से
चौथे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के संबंध में 2.5 प्रतिशत की दर से
और उसके पश्चात प्रत्येक तिमाही में 2 प्रतिशत की दर से

स्पष्टीकरण,-

(1) तिमाही के किसी हिस्से के संबंध में अवमूल्यन की दर की गणना करने के आशय से, इस तरह की पूरी तिमाही को मद्देनजर रखा जाएगा;

(2) इस प्रकार के अवमूल्यन की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी तथा 100 प्रतिशत तक अवमूल्यन की अनुमति दी जा सकेगी;

(3) अवमूल्यन की अवधि की गणना निम्नलिखित से की जाएगी :-

(i) साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क के निदेशक द्वारा प्रमाणित किए अनुसार आपरेशन के प्रारम्भ होने की तारीख से वस्तुओं की निकासी की तारीख तक; अथवा

(ii) जहाँ कहीं ऐसी वस्तुओं को किसी आपरेशनल आईएसपी परिसर में प्राप्त किया गया है वहां पर साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क के निदेशक द्वारा

प्रमाणित किए अनुसार एसटीपी इकाई द्वारा उनके स्थापित किए जाने की तारीख से निकासी की तारीख तक।

(2) अनुबंध में, क्रम संख्या 2 में "V अन्य मदें" शीर्ष के अंतर्गत "मुख्य कार्यकारी" शब्दों के स्थान पर "निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

फा.सं.डीजीईपी/ईओयू/एसटीपी/28/2016

(टेमसुनारो जमीर)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी - प्रधान अधिसूचना संख्या 153/1993-सीमा शुल्क, दिनांक 13.08.1993, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (I) में दिनांक 13.08.1993 की सा.का.नि. संख्या 554(अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और इसमें, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उपखण्ड (I) में दिनांक 15.01.2007 को सा.का.नि. संख्या 27(अ) में प्रकाशित दिनांक 15.01.2007 की अधिसूचना संख्या 5/2007- सीमा शुल्क द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।